जलाशय पर कब्जे का खेल — नगर परिषद-जल संसाधन विभाग कटघरे में, अधिकारियों को नोटिस भेजा, सुनियोजित षड्यंत्र व सार्वजनिक धन की लूट का आरोप

अमृत 2 .0 की आड़ में 68 लाख का घोटाला

डिंडोरी, नवभारत 4 फरवरी। नगर में शासकीय जलाशय पर कराए गए निर्माण कार्य को लेकर बड़ा कानूनी बवंडर खड़ा हो गया है। जिला व्यापारी संघ, डिंडोरी की ओर से अधिवक्ता सम्यक जैन द्वारा नगर परिषद डिंडोरी एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आपराधिक उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु कानूनी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सुनियोजित षड्यंत्र, सार्वजनिक धन की लूट और पर्यावरणीय अपराध करार दिया गया है।

नोटिस के अनुसार जिस जलाशय में निर्माण कराया गया है, वह पूरी तरह जल संसाधन विभाग के स्वामित्व, नियंत्रण और संधारणाधीन है। केवल नगर परिषद सीमा में स्थित होने से उसे किसी प्रकार का स्वामित्व या उपयोग अधिकार स्वत: प्राप्त नहीं हो जाता। बिना किसी लिखित हस्तांतरण आदेश, अधिसूचना या वैधानिक अनुमति के नगर परिषद द्वारा वहां स्थायी निर्माण कराना स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही बताई गई है।

> **7 दिन का अल्टीमेटम**
>
> नोटिस में संबंधित अधिकारियों को 7 कार्य दिवस के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि किस वैधानिक प्रावधान के तहत निर्माण कराया गया? किस अधिकारी की अनुमति से राशि व्यय की गई? अमृत योजना की राशि किस आधार पर उपयोग की गई? सभी डीपीआर, तकनीकी स्वीकृति, भुगतान विवरण प्रस्तुत किए जाएं।

अमृत 2 .0 की राशि का दुरुपयोग

कानूनी नोटिस में यह भी उल्लेख है कि अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 68 लाख की राशि ऐसे कार्य में खर्च की गई, जो न तो योजना के उद्देश्यों में शामिल है और न ही उसकी पात्रता शर्तों को पूरा करता है। इसे सरकारी योजना को ढाल बनाकर की गई सुनियोजित धोखाधड़ी बताया गया है।

डी पी आर और तकनीकी स्वीकृति पर सवाल

नोटिस में आरोप है कि निर्माण कार्य डीपीआर, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका जैसे अनिवार्य अभिलेखों के बिना या मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर कराया गया। इससे यह संदेह गहराता है कि संबंधित अभियंताओं और तकनीकी अधिकारियों द्वारा झूठा तकनीकी प्रमाणन किया गया या जानबूझकर अनदेखी कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

निजी हितों के लिए सार्वजनिक संसाधनों से छेड़छाड़

नोटिस के अनुसार निर्माण कार्य नगर की वास्तविक आवश्यकता के बजाय नगर परिषद अध्यक्ष एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के निजी हितों को ध्यान में रखकर कराया गया। इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 'पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ अर्जन' की श्रेणी में रखा गया है।

संदेह के दायरे में जलसंसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण पर न तो रोक लगाई गई और न ही प्रभावी निरीक्षण किया गया। नोटिस में इसे या तो जानबूझकर कर्तव्यहीनता या फिर सह-अपराध माना गया है।

पर्यावरणीय खतरे की चेतावनी

कानूनी नोटिस में जलाशय की ढाल, तट और प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और लोक न्यास सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है। इससे जल संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।

एफआईआर से एनजीटी तक कार्रवाई संभव

पत्र में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि अपराध जानबूझकर और पूर्व नियोजित था। इसके बाद एफआईआर, लोकायुक्त शिकायत, विशेष न्यायालय में अभियोजन, एनजीटी में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और शासकीय धन की वसूली जैसी कठोर कार्यवाहियां शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

नगर परिषद और जल संसाधन विभाग में हड़कंप मचा

बहरहाल इस नोटिस के बाद नगर परिषद और जल संसाधन विभाग में हड़कंप मच गया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में स्पष्टीकरण देता है या चुप्पी साधे रखता है, क्योंकि चुप्पी इस बार भारी पड़ सकती है।

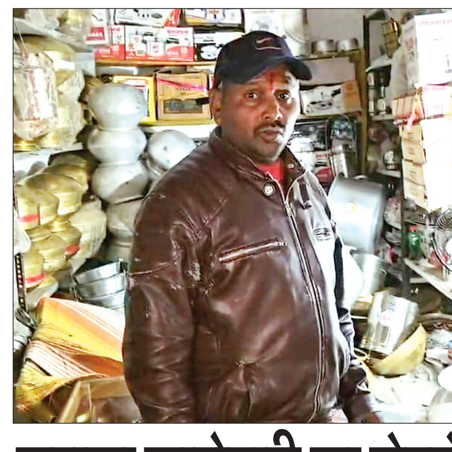

सराफा कारोबारी का जेवरों से भरा बैग ले उड़ा बदमाश

> रहठा में बाजार के दिन वारदात से मचा हड़कंप

नौरोजाबाद नवभारत 4 फरवरी। जिले के नोरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम रहठा में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात बदमाश ने सराफा कारोबारी की दुकान से जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

घटना मंगलवार की शाम करीब 6.30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित सराफा कारोबारी कौशल साहू, निवासी बेलगांव, जिला डिंडौरी है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर से आकर रहठा में स्व. नरोत्तम काछी की दुकान में सराफा व्यवसाय करता है। मंगलवार को रहठा में साप्ताहिक बाजार होने के कारण इलाके में भारी भीड़भाड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

बदमाश ने मौके का फायदा उठाया

बताया जा रहा है कि कौशल साहू दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान एक महिला ग्राहक दुकान पर आई, जिससे वह कारोबार से जुड़ी बातचीत करने लगा। इसी बीच बदमाश ने मौके का फायदा उठाया और जेवरात से भरा बैग उठाकर चुपचाप रफूचक्कर हो गया।जब तक कारोबारी को घटना का अहसास हुआ, तब तक बदमाश भीड़ में गायब हो चुका था।

क्षेत्र में मची अफरा-तफरी

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित सराफा कारोबारी ने तत्काल नौरोजाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मे फरियादी ने 6 लाख 83 हजार के सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की शिकायत की गई। पुलिस ने इस अतिसंवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्धों से पूछताछ में जुट गई है।

पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी किए जाएं

> एसडीएम की अध्यक्षता में पेसा एक्ट मोबिलाइजरों का प्रशिक्षण आयोजित

शहपुरा नवभारत 4 फरवरी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 3.0 के अंतर्गत जनजातीय वर्ग के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवेदन भरवाने के संबंध में जनपद पंचायत शहपुरा में एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा की अध्यक्षता में पेसा एक्ट मोबिलाइजरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम वर्मा ने निर्देश दिए कि योजना से वंचित सभी पात्र परिवारों की पहचान कर उनके आवेदन शीघ्र भरवाए जाएं, ताकि उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित गैस एजेंसी संचालकों को भी निर्देशित किया कि मोबिलाइजरों द्वारा उपलब्ध कराए गए पात्र हितग्राहियों के आवेदनों को गैस कंपनी के पोर्टल पर तत्काल दर्ज कर कनेक्शन जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में सहायक आपूर्ति अधिकारी शहपुरा सहित संबंधित गैस एजेंसियों के संचालक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद निधि व निर्माण कार्यों की राशि नियमों के विपरीत आहरित

> धनुवासागर पंचायत के पंच की शिकायत पर सरपंच-सचिव की भूमिका जांच के दायरे में

डिण्डौरी ,नवभारत 4 फरवरी। डिंडोरी जनपद की ग्राम पंचायत धनुवासागर में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिसमें पंचायत के निर्वाचित पंच अशोक कुमार धुर्वे ने जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को लगभग दो रोज पूर्व शिकायती आवेदन देकर आरोप लगाया है कि कार्यवाहक सरपंच एवं प्रभारी सचिव ने बीते छह महीनों में नियमों को ताक पर रखकर लगभग 20 लाख 26 हजार रुपये की राशि पंचायत खाते से आहरित कर उसका दुरुपयोग किया गया है।

शिकायत के अनुसार, केवल 20 अक्टूबर 2025 को ही 34 बिलों के माध्यम से 7.32 लाख रुपये आहरित कर लिए गए। इसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में लगातार अलग-अलग तिथियों में लाखों रुपये निकाले गए।कुल मिलाकर 20,26,344 रुपये की राशि पंचायत खाते से निकाली गई, जबकि कई कार्य धरातल पर हुए ही नहीं।इतना ही नहीं, सांसद निधि से स्वीकृत सीसी रोड निर्माण कार्य, जो न्यायालय में विचाराधीन था, उसमें से भी 1.27 लाख रुपये की राशि आदेश के पूर्व ही निकाल ली गई। जो कि सीधे तौर पर न्यायालयीन प्रक्रिया की अवहेलना मानी जा रही है।

संत के नाम पर 'शून्य खर्च', लेकिन पूरा भुगतान

सबसे चौंकाने वाला मामला 30 जनवरी 2026 का है, जब संत के नाम पर प्रशासनिक व्यवस्था खर्च दिखाकर राशि आहरित कर ली गई, जबकि न तो कोई आयोजन हुआ और न ही क्षेत्र की किसी पंचायत में ऐसा कोई कार्यक्रम दर्ज है। आरोप है कि इस कृत्य से न केवल पंचायत की छवि धूमिल हुई, बल्कि पूज्य संत के नाम का भी दुरुपयोग किया गया।

सीसी रोड के नाम पर फर्जीवाड़ा

शिकायतकर्ता का कहना है कि कार्यवाहक सरपंच की नियुक्ति के बाद से पंचायत में एक भी सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन शांति धाम पहुंच मार्ग के नाम पर फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपये निकाल लिए गए। इसके अलावा बीते पांच महीनों में फोटोकॉपी और स्टेशनरी मद में असामान्य रूप से लाखों रुपये खर्च दिखाए गए, जो जांच का गंभीर विषय है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत कार्यालय में न तो इतना काम हुआ और न ही सामग्री का कोई भौतिक प्रमाण है।

पद का दुरुपयोग

कार्यवाहक सरपंच रामबाई बनवासी पर आरोप है कि वे मूल रूप से वार्ड क्रमांक 10 से पंच हैं, लेकिन पिछले पांच महीनों से नवनिर्वाचित सरपंच के नाम पर हस्ताक्षर कर अपने खाते में 4,250 रुपये प्रतिमाह मानदेय ले रही हैं।

यहां भी हो रहा खेला

लमती नाला क्षेत्र में स्टॉप डेम निर्माण कार्य, जिसे वर्ष 2021 में गुणवत्ताहीन पाए जाने पर रद्द कर राशि वसूली का प्रस्ताव बनाया गया था, उसी कार्य को दोबारा नियमों के विपरीत भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

पंचायत दर्पण में भारी गड़बड़ियां

शिकायत पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया गए है कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड बिलों में कहीं सरपंच के हस्ताक्षर नहीं तो कहीं सचिव के नहीं, कहीं कार्य स्थल का नाम गायब तो कहीं प्राप्तकर्ता या सप्लायर के हस्ताक्षर नहीं। इससे स्पष्ट है कि रिकॉर्ड संधारण में जानबूझकर लापरवाही बरती गई।

अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

आवेदक का आरोप है कि वे पूर्व में भी उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से आरोपी और बेखौफ हो गए। जिसके चलते पंच अशोक कुमार धुर्वे ने मांग की है कि दो दिवस के भीतर वित्तीय व भौतिक जांच कराई जाए, दोषी सरपंच व सचिव को तत्काल पद से हटाया जाए, दुरुपयोग की गई राशि की रिकवरी की जाए और जांच की जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाए।

कागजों में विकास, खातों में शासकीय धन का खेल

> आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार का खुलासा, जिला प्रबंधक व प्रभारी प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज

नवभारत उमरिया 4 फरवरी। जिले में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आना यह दिखाता है कि कागजों पर चल रही योजनाओं में कैसे शासकीय धन को रास्ते से भटकाया जा रहा है। मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधन इकाई उमरिया में वित्तीय अनियमितताओं ने प्रशासन को हिला कर रख दिया है। जांच के बाद जिला प्रबंधक (कृषि) एवं प्रभारी जिला प्रबंधक (वित्त) महेंद्र कुमार बारसकर के विरुद्ध कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय और मानदेय के नाम पर पहले स्वीकृत राशि का भुगतान किया गया। इसके बाद उसी स्वीकृति आदेश का सहारा लेकर फिर से भुगतान कर दिया गया। इस दोहरे भुगतान से सरकारी खजाने को 1,43,440 रुपये की सीधी चपत लगी। यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि बिना किसी सक्षम स्वीकृति के 1,36,683 रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस तरह कुल 2,80,123 रुपये के गबन का मामला उजागर हुआ।

आंतरिक निरीक्षण का मामला सामने आया

यह पूरा खेल तब सामने आया जब जिला मिशन प्रबंधन इकाई का आंतरिक निरीक्षण किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान बिल-वाउचर, कैश बुक, लेजर, व्यय पंजी और बैंक स्टेटमेंट का मिलान किया गया। जांच दल ने पाया कि भुगतान की प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके अपनाए गए। कुछ मामलों में एक ही बिल के आधार पर दो बार पैसा निकाला गया, तो कुछ भुगतान बिना किसी वैध आदेश के कर दिए गए।

कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया

मामले को हल्के में नहीं लेते हुए विभाग ने आरोपी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब देने का अवसर दिया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उमरिया ने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

मामले की गहन जांच जारी है, थाना प्रभारी

थाना कोतवाली प्रभारी मदनलाल मरावी के अनुसार आरोपी द्वारा फर्जी बिल और वाउचर के आधार पर शासकीय राशि निकाले जाने के प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामले की गहन जांच जारी है।

सरकारी तंत्र की कमजोरी उजागर

ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही आजीविका मिशन जैसी योजना में सामने आया यह भ्रष्टाचार न सिर्फ सरकारी तंत्र की कमजोरी उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक कागजों में ईमानदारी और हकीकत में लूट का यह खेल चलता रहेगा। अब देखना यह है कि जांच के बाद दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है।

शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर आज

शहपुरा नवभारत 4 फरवरी। मानव सेवा और सामाजिक सरोकार की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में गुरुवार को एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के नागरिकों से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. रत्नेश त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं, प्रसूति मामलों, गंभीर बीमारियों एवं आपात स्थितियों में रक्त की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ऐसे में रक्तदान जीवनदायिनी भूमिका निभाता है। डॉ. त्रिवेदी ने आमजन से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार की भ्रांति में न पड़ें, क्योंकि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है।

हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं के निर्देशों का करें पालन

> निर्देशों के सख्त पालन हेतु पेट्रोल पंप संचालकों की अहम बैठक आयोजित

डिंडौरी, नवभारत 4 फरवरी। दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा जारी 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार के दिन थाना यातायात डिंडौरी में जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी डिंडौरी की उपस्थिति रही। इस अवसर पर थाना प्रभारी यातायात सुभाष उईके सहित जिले के 16 पेट्रोल पंपों के मालिक एवं संचालक मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन द्वारा हाल ही में जारी किए गए 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' के निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल देता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रशासन को यह आश्वासन दिया कि वे निर्देशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे तथा बिना हेलमेट किसी भी दोपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

चालकों से हेलमेट का उपयोग करने की अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें, ताकि अनमोल जीवन की रक्षा की जा सके।

आवारा जानवर फसल कर रहे चौपट

> रात भर जागकर रखवाली करने को मजबूर किसान

चिल्हारी। मानपुर विकासखंड अन्तर्गत ग्राम चिल्हारी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवारा गौवंश से परेशान हो चुके हैं। फसल बचाने किसानों ने खेतों के किनारों पर लोहे के तार लगा दिए हैं, लेकिन आवारा जानवर उन्हें भी तोड़कर खेतों में घुस जाते हैं। रामकुमार काछी, ललवा पटेल, मंगल कोल और मौजीलाल काछी ने बताया कि आवारा गौवंश रबी की तैयार फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त गांव में सैकड़ों की ज्यादा संख्या में गाय, सांड, बछड़े खुले में घूम रहे हैं, ग्रामीणों ने बताया कि कई बार छुट्टा जानवर खेत में घुसकर फसल बर्बाद कर चुके हैं। इन जानवरों को कई बार गांव के बाहर तक खदेड़ा गया है, मगर कुछ घंटों बाद फिर से ये अपने आप गांव में आ जाते हैं। इनके उत्पात से चौपट हो रही फसलों को बचाने के लिए किसानों ने कई बार प्रशासन से बात भी की, मगर आज तक किसानों की मदद के लिए प्रशासन के अलावा किसी ने भी किसानों की फसल को बचाने का प्रयास नहीं किया है। किसानों ने जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से चिल्हारी में सर्व सुविधायुक्त गौशाला निर्माण कराने की मांग की, जिससे समस्या का समाधान हो सके।

बाघों के लिये खतरा बने बफर और वन विभाग के जंगल, अधिकतर मामले बीटीआर कोर क्षेत्र के बाहर के हैं

कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का खामियाजा भुगत रहे वन्यप्राणी

चिल्हारी नवभारत 4 फरवरी। जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे शहडोल वन मंडल के जंगल मे बीते दिन एक बाघ और बाघिन की मौत ने वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही के कुछ महीनो के दौरान शायद ही ऐसा कोई सप्ताह रहा होगा, जिसमे इस तरह की कोई घटना नहीं घटी हो। इनमे से अधिकांश मामले बीटीआर कोर क्षेत्र से बाहर के हैं, ऐसा लगता है कि खुले जंगलों मे सतर्कता की कमी बाघ, तेंदुआ, भालू सहित अन्य वन्यजीवों पर भारी पड रही है।

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बाघों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिनमें नियमित गश्त, कैमरा ट्रैप, रेडियो कॉलर से निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और त्वरित कार्रवाई जैसी व्यवस्थायें शामिल हैं, परंतु इसके बाहर परिस्थितियां बदल जाती हैं।

अव्यवस्था का फायदा उठाते हैं शिकारी

जानकारों का कहना है कि कोर जोन की सीमा खत्म होते ही वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। बफर और सामान्य वन मंडलों में निगरानी की कमी का फायदा शिकारी और तस्कर उठाते हैं। करंट, जहर, फंदे और अवैध हथियार यहां जंगली जानवरों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। विगत कुछ वर्षों में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाहर करंट से बाघों और अन्य दुर्लभ वन्यजीवों की मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं।

सख्त निगरानी और समन्वय की आवश्यकता

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए केवल कोर जोन ही नहीं, बल्कि बफर और सामान्य वन क्षेत्रों में भी बांधवगढ़ की तर्ज पर सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इसके लिए वन विभाग, विद्युत विभाग, टाइगर रिजर्व प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। नियमित संयुक्त गश्त, अवैध बिजली लाइनों की जांच, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर ही वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

तो फिर दोहराया जा सकता है अतीत

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो हालात फिर उसी दौर में पहुंच सकते हैं, जब कभी इस संभाग के जंगलों से बाघ लगभग पूरी तरह विलुप्त हो गए थे।

करंट से हुई बाघ-बाघिन की मौत

उमरिया नवभारत 4 फरवरी। जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे शहडोल जिले के जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत सर्किल मसीरा क्षेत्र में एक बाघ और एक बाघिन के संदिग्ध शव मिलने से वन विभाग सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक तौर पर करंट से मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वन विभाग ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित कर दिया गया। डॉग स्क्वॉड सहित कई विशेष टीमें जंगल एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। बताया गया है कि रविवार रात सबसे पहले एक बाघ का शव मिलने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान सोमवार तड़के उसी क्षेत्र के पास बाघिन का शव भी बरामद हुआ, जिसके बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई।

In The Court Of Civil Judge, Class-I, Judicial Magistrate, District Court, Dindori
Presiding Officer : गिरजेश कुमार सनोदिया

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमाक (MJC SUC/0000001/2026)

चन्द्रवती ...... आवेदक

Vs

जनसाधारण ...... अनावेदक — Process Id-/2026

प्रेषिती- — पेशी दिनांक :- 06/03/2026

(1) जनसाधारण पता-डिण्डौरी जिला डिण्डौरी म.प्र.

(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक चन्द्रवती पता ने मृतक मंगल सिंह निवासी ग्राम परापानी तह. शहपुरा जिला डिण्डौरी की राशि की भुगतान हेतु राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 06 March 2026 को नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 06 March 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख 03 February 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा — सील

(गिरजेश कुमार सनोदिया)
प्रथम व्यवहार न्यायधीश
वरिष्ठ खंड जिला डिण्डौरी (म.प्र)

कृपया ध्यान दें:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।